



जातिगत जनगणना पर रोक लगाने, यथारिति आदेश से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (एजेंसियों)। उच्चतम न्यायालय ने जाति जनगणना करने और उसे प्रकाशित करने के बाद सरकार के फैसले पर रोक लगाना या वयास्थित करना एवं रखने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नियन्य लेने से नहीं रोक सकता। न्यायमूर्ति संजीव खना और ऐसे वी एन भट्टी की पोष ने स्वयंभूत संस्थाओं का एक सोच एक प्रयास, यूथ फॉर इकलिमी और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल यथारिति का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार को नीतिगत नियन्य लेने से रोकना गलत होगा।

पीठ ने मोर्खिक रूप से कहा, 'हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नियन्य लेने से भी अवश्यक नहीं एक अग्रणी को राज्य में जातिगत जनगणना करने के बिहार सरकार के छह जून 2022 के फैसले को उपरित ठहराया था।'



राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नियन्य लेने से नहीं रोक सकता, बिलासपुर यथारिति का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार को नीतिगत नियन्य लेने से रोकना गलत होगा।

